बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या FC-203

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
गया।

पटना 14, दिनांक– 26/02/2020

विषय – गया जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, गया नगर के भवन निर्माण हेतु मौजा–कण्डी नवादा, थाना संख्या–189, खाता संख्या–1105/276, खेसरा संख्या–1547 रकवा 1.303088 हे० के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग – वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया का पत्रांक 1015 दिनांक 20.02.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक FC-63 दिनांक 07.02.2017 द्वारा 20 शर्त्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शर्त संख्या (ii) के आलोक में आपके द्वारा NPV मद की राशि रू० 8,15,734/– मात्र को CAMPA लेखा में RTGS के माध्यम से जमा करा दी गयी है जिसकी सम्पुष्टि Ad-CAMPA, नई दिल्ली के पत्रांक 1-05/2018-CAMPA दिनांक 07.08.2018 द्वारा कर दी गयी है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1015 दिनांक 20.02.2020 द्वारा कुल रू० 27,35,194/– (रूपये सताईस लाख पैतीस हजार एक सौ चौरानवें) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

3. **उपर्युक्त क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० 27,35,194/– (रूपये सताईस लाख पैतीस हजार एक सौ चौरानवें) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक 63 दिनांक 07.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित कडिका 1 से 20 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि विषयाधीन प्रस्ताव पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-203 दिनांक–26/02/2020

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया/वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.2020
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।